पटना नगर निगम क्षेत्र में डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, फाईलेरिया एवं अन्य संक्रामक बिमारियों के रोकथाम, नियंत्रण एवं बचाव के लिए पटना नगर द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान करने के संबंध में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2019 को स्वास्थ्य विभाग एवं पटना नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–

1. श्री एम0पी0 शर्मा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
2. श्री डी0पी0 तिवारी, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
3. कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना।
4. कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम, पटना।
5. कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम, पटना।
6. कार्यपालक पदाधिकारी, बांकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना।
7. कार्यपालक पदाधिकारी, अजीमाबाद अंचल, पटना नगर निगम, पटना।
8. कार्यपालक पदाधिकारी, पाटलिपुत्रा अंचल, पटना नगर निगम, पटना।

आसन्न मॉनसून एवं बरसात के मौसम में पटना नगर निगम क्षेत्र में डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, फाईलेरिया एवं अन्य संक्रामक बीमारियों के रोक्थाम, नियंत्रण एवं बचाव के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के संबंध में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम, पटना के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निम्नवत निर्णय लिये गये :–

1. अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पूरी तरह से बारिश पड़ने से पहले फॉगिंग की नहीं बल्कि सभी तरह के drain तथा water bodies में लार्वा साईडल डालने की आवश्यकता है और एक बार बारिश होने के बाद नियमित रूप से फॉगिंग कराने की आवश्यकता होगी। जहाँ तक drain आदि में लार्वा साईडल (दवा) छिड़काव करने का प्रश्न है, गत वर्ष इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से पटना नगर निगम क्षेत्र के लिए 12 टीम लगाया गया था और पटना नगर निगम के द्वारा भी 08 टीम (कुल 20 टीम) लगाये गये थे। निर्देश दिया गया कि इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग के 12 टीम के अलावा पटना नगर निगम के भी प्रत्येक अंचल में 02 टीम की दर से कुल 12 टीम लगाया जाय। पटना नगर निगम की ओर से पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, अपर नगर आयुक्त समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल पदाधिकारी रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉ० प्रशान्त को पूरे नगर निगम क्षेत्र के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया जा रहा है। इसी तरह पटना नगर निगम के प्रत्येक अंचल में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी एक–एक नोडल पदाधिकारी निर्धारित किया जाएगा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अंचलवार एक–एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा।
2. निर्देश दिया गया कि दिनांक 01.07.2019 को स्वास्थ्य विभाग के अंचलवार नोडल पदाधिकारी नगर निगमों के अंचलों में जाकर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा साथ मिलकर तैयार करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों के दूरभाष संख्या आदि उपलब्ध करा दी गयी। प्रत्येक अंचल में पूरे क्षेत्र के सभी सड़कों को चिन्हित करते हुए route chart बना लिया जाएगा ताकि अंचल के चारों टीम (02 टीम स्वास्थ्य विभाग का और 02 टीम पटना नगर निगम का) के द्वारा एक सप्ताह के अंदर सभी drain आदि में दवा छिड़काव करा लिया जाय। इसके लिए दवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध

कराया जाएगा—इस संबंध में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूरभाष पर सहमति दी गयी है। पटना नगर निगम के द्वारा प्रत्येक अंचल द्वारा स्वास्थ्य विभाग से दिनांक 02.07.2019 को दवा प्राप्त किया जाएगा और दिनांक 03.07.2019 को दवा छिड़काव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी गठित टीम द्वारा प्रतिदिन संध्या में संबंधित नोडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा और उनके द्वारा समेकित प्रतिवेदन पटना नगर निगम क्षेत्र के नोडल पदाधिकारी को भेजा जाएगा। सप्ताह के अंत में विभाग को भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। दवा छिड़काव का कार्य तब तक चलेगा जब तक इसकी आवश्यकता है।

3. फॉगिंग के प्रश्न पर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बारिश होने के पहले दवा छिड़काव करा लिया जाय और उसके बाद नियमित रूप से फॉगिंग कराना श्रेयष्कर है।

4. फॉगिंग के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सूर्यास्त के बाद रात में फॉगिंग प्रभावकारी नहीं होता है। फॉगिंग सूर्योदय के उपरांत तथा सूर्यास्त से पहले ही किये जाने पर प्रभावी होता है। तद्नुसार ही नगर निगम के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सुबह 6–9 बजे के बीच अथवा शाम 3–5 बजे के बीच ही फॉगिंग कराया जाय। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, फाईलेरिया से ग्रस्त घरों में लगातार तीन दिनों तक तथा अन्य क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार फॉगिंग किया जाना चाहिए।

5. स्वास्थ्य विभाग द्वारा फॉगिंग हेतु टेक्निकल मालाथिआन (दवा) महेन्द्रू स्थित मलेरिया अस्पताल से नगर निगम को उपलब्ध करा दिये जाने की बात कही गई, जिसपर नगर निगम के पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार उक्त अस्पताल से दवा प्राप्त करने का निदेश दिया गया। पटना नगर निगम के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि टेक्निकल मालाथिआन का क्रय GeM के माध्यम से करने के लिए पटना नगर निगम द्वारा order place कर दिया गया है। इस पर निर्णय लिया गया कि जब तक उन्हें टेक्निकल मालाथिआन प्राप्त नहीं होता है तब तक वे स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल से दवा लेंगे। यह भी निर्णय हुआ कि पटना नगर निगम द्वारा जो टेक्निकल मालाथिआन के क्रय का आदेश दिया गया है, उसके specification को स्वास्थ्य विभाग से दिखा लिया जाय ताकि आश्वस्त हो सकें कि उपयुक्त chemical का क्रय हो रहा है।

6. फॉगिंग के दवा का छिड़काव डीजल में मिलाकर किया जाता है। पटना नगर निगम के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि नगर निगम द्वारा फॉगिंग हेतु जर्मनी से मशीन मंगाई जा रही है, जिससे पानी में भी दवा मिलाकर फॉगिंग किया जा सकता है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि बिना डीजल के फॉगिंग संभव नहीं है। इस पर निदेश दिया गया कि उक्त मशीन का demo एवं presentation स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाय। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनापत्ति का प्रमाण देने के उपरांत ही उस मशीन को procure करने पर विचार किया जाय।

7. पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान यथा—मॉल, होटलों, रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थानों, सरकारी भवनों आदि के छतों अथवा खाली परिसरों में बेकार पड़े खाली डब्बों अथवा वैसे वस्तु, जिसमें पानी इकट्ठा होता हो, उसे नष्ट करने अथवा उनमें पानी इकट्ठा होने से रोकने हेतु नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। शहरी क्षेत्र में डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, फाईलेरिया एवं अन्य संक्रामक बीमारियों के रोकथाम, नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा पम्पलेट, पोस्टर, बैनर इत्यादि छपवाकर पटना नगर निगम को

उपलब्ध कराया जायेगा। पटना नगर निगम द्वारा अपने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से पम्पलेट को सभी घरों तक पहुँचाया जाएगा तथा लोगों को जागरूक होने का संदेश दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम के कचड़ा उठाव गाड़ी के दोनों तरफ जागरूकता बैनर चिपकाने हेतु बैनर, छपवाकर नगर निगम को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा नगर निगम द्वारा उक्त बैनर को गाड़ियों के दोनों तरफ चिपकाया/लगाया जाएगा।

धन्यावाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

1/7/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3289/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–02/7/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/पटना नगर निगम के सभी 06 अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति स्वास्थ्य विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।**

1/7/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3289/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–02/7/19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

1/7/2019

प्रधान सचिव